



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273733
CG-DL-E-23062026-273733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3154]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3154]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3280(अ).—केन्द्र सरकार, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जून, 2026 के 22 वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहाँ तक वे उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध हैं, जो पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. L-13/5/2025-LIB.-Part (1)]

कमलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3280(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026, the Central Government hereby appoints the 22nd of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 19 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954, shall come into force.

[F. No. L-13/5/2025-LIB.-Part (1)]

KAMLESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.